IRDP taking up self-employment, sick units and industrial units in respect of working capital;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether instructions have been issued to the banks and financial institution in this regard; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) to (d) Under the Integrated Rural Development Programme, assistance can be provided to families in rural areas whose annual income is below Rs. 4800. This includes rural youth also. The Union Government in July, 1987 has advised the States to diversify from predominantly primary sector activities of present to secondary and tertiary sector activities like encouraging prawn and fish farming, taking up of tea, fruit and vegetable production etc. and its processing by small and marginal farmers with strong backward and forward linkages. The Union Government has also advised that Training of Rural Youth for Self-employment (TRYSEM) should also be re-oriented to prepare the youth for self and wage employment in close coordination with Employment Exchanges.

Since individual beneficiaries are assisted under IRDP through self-employment in rural areas, the sick units and industrial units do not come under the purview of IRDP.

तिलहनों का उत्पादन

758. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985-86 में तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 136 लाख टन का था जबकि वास्तविक उत्पादन मात्र 111.5 लाख टन हुआ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एसा लक्ष्य न तो पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त किया जा सका और न ही इसे भविष्य में प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह विफलता इस कारण से है कि हम वैसी सफलता विभिन्न तिलहनों के मामले में प्राप्त नहीं कर सके जसी कि हमने गेहूं और मक्का के मामले में प्राप्त की लेकिन विफलता का कारण खराब मौसम को बताया जा रहा है; और

(घ) खाद्य तेल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। पिछले वर्षों में तिलहन उत्पादन के लक्ष्य न्यूनाधिक तौर पर पूरे कर लिये गये हैं। वष 1983-84 के लिये निर्धारित 125.00 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के मामले में वास्तविक उपलब्धि 126.9 लाख मीटरी टन रही। इसी प्रकार 1984-85 के दौरान उपलब्धि 129.6 लाख मीटरी टन रही जबकि लक्ष्य 130.00 लाख मीटरी टन का था। विभिन्न तिलहन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत तिलहनों के उत्पादन पर और अधिक जोर देने से आशा है कि तिलहन उत्पादन के भावी लक्ष्य भी पूरे कर लिये जायेंगे।

(ग) तिलहन प्रचुर ऊर्जा वाली फसलें हैं लेकिन इनकी खेती ऊर्जा रहित स्थितियों, छोटी जोतों आदि के अन्तर्गत होती हैं। इसलिये, तिलहनों का उत्पादन उस हद तक होने की आशा नहीं की जा सकती जिस हद तक गेहूं और मक्का का उत्पादन होता है। फिर भी विभिन्न तिलहनों की अधिक उपज देने वाली तथा रोग-रोधी किस्में विकसित की गई हैं,

जो उत्पादन को कम से कम दुगुना करने में सक्षम हैं, बशर्ते उनको खेती की समुचित स्थितियां मिलें ।

(घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना पहले ही चला रही है । इसके अतिरिक्त, तिलहन उगाने वाले महत्वपूर्ण 14 राज्यों के लिए 1987 की खरीफ के वास्ते तिलहन उत्पादन को आगे बढ़ाने की परियोजना मंजूर की गई है ।

बासमती चावल का उत्पादन

759. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बासमती चावल का क्षेत्रवार उत्पादन कितना हुआ और देश से कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि देश में बासमती चावल का उत्पादन कम हो रहा है और उसकी गुणवत्ता, विशेष रूप से इसकी खुशबू कम हो गयी है, यदि हां, तो इसकी उपज बढ़ाने की विशिष्ट योजना क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्धारित की गयी सीमा के कारण बासमती के बजाय चावल की अन्य किस्मों का निर्यात किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) :
(क) कृषि सांख्यिकी एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बासमती चावल के क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में पृथक सांख्यिकी एकत्र किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1984–85, 1985–86 और 1986–87 के दौरान बासमती चावल और गैर बासमती चावल के निर्यात की मात्रा दर्शायी गई है ।

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	
	बासमती चावल	गैर बासमती चावल
1984–85	241785	निर्यात की अनुमति नहीं दी गई ।
1985–86 (अनंतिम)	235213	कोई निर्यात नहीं
1986–87 (अनंतिम)	237153	2689

(ख) जहां तक, बासमती चावल की क्वालिटी का संबंध है, जब तक बासमती उगाए जाने वाले पारम्परिक क्षेत्रों में यह सफल उगाई जाती रहेगी, इसकी गुणवत्ता में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है । बासमती क्वालिटियों को मिलाकर अधिक उत्पादन देने वाली बौनी किस्में विकसित करके और पारम्परिक बासमती किस्मों के पौधों की किस्म में आनुवंशिक रूप से परिवर्तन द्वारा उसकी उपज में वृद्धि करके, पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) बासमती चावल के निर्यात पर मात्रा संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं लगाई गई है । बासमती चावल का निर्यात करने से पूर्व जहाज पर इसकी लदान से पहले निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है, इसलिए निरीक्षक संगठन जैसे एगमार्क प्राधिकारी तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियां बासमती चावल के निर्यात से पहले जहाज पर लदान पूर्व निरीक्षण करती हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीजों का विकास

760. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान